न्यायालय राजस्व मण्डल, राज.
अजमेर

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरैंस / एल.आर. / 7065 / 2011 / जयपुर

सरकार जरिये तहसीलदार, विराट नगर, जिला जयपुर।

— प्रार्थी

बनाम

1. नरसा पुत्र नारायण जाति कुम्हार, निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
2. पाबूदान पुत्र जम्मन, जाति नायक, निवासी कूकडेला, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री बी. एल. नवल, सदस्य

उपस्थित :–

श्री पुष्पेन्द्र सिंह, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।
श्री शिव सिंह चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक : 15 सितम्बर, 2015

हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) की धारा 82 के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 03 / 2006 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 25–01–2011 के संदर्भ में पेश किया गया है।

सत्य प्रतिलिपि
निबन्धक
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

2– रेफरेन्स के संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक कलक्टर, शाहपुरा के न्यायालय में वादी नरसा पुत्र नारायण द्वारा वादपत्र संख्या 220 / 94 बावत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसे सहायक कलक्टर, शाहपुरा ने निर्णय दिनांक 22–7–97 से निर्णित करते हुये आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा का खातेदार घोषित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–1 पाबूदान नायक की खातेदारी हजफ की गई और प्रतिवादी संख्या–1 को हाल खसरा नम्बर 518, 517 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। प्रतिवादी को खसरा नम्बर 515 / 1.12 है0 पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। तहसीलदार, विराटनगर द्वारा धारा 82, अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि साविक खसरा नम्बर 314 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या–2 पाबूदान जाति नायक को 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका साविक नामांतरकरण संख्या 134 रेकार्ड में अमल हुआ। खसरा नम्बर

15-9-15

COMPARED BY

Scanned by CamScanner

515, 518 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक नम्बर 314 मि0से बने हैं तथा हाल नम्बर 517 साबिक नम्बर 314, 315 मि0 से बने हैं। वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 515/1.12 है0 तथा 518/1.41 है0 किता 2 रकबा 2.53 है0 अप्रार्थी संख्या–2 पावूदान की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 517/1.02 है0 रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। सहायक कलक्टर न्यायालय ने खसरा नम्बर 515/1.12 को रिकार्ड के विपरीत अप्रार्थी संख्या–1 नरसा पुत्र नारायण के नाम खातेदारी घोषित की है इसके एवज में खसरा नम्बर 517/1.02 है0 सिवाय चक भूमि की खातेदारी गैर प्रार्थी संख्या–2 पावूदान के नाम की है जो गलत एवं नियम विरुद्ध है। अतः खसरा नम्बर 515/1.12 है0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि है और सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती। खसरा नम्बर 517/1.02 है0 सिवाय चक है जिसकी खातेदारी घोषणा पावूदान के पक्ष में बिना किसी अधिकार के की गई है, अतः माननीय न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाये। अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के आदेश दिनांक 23–5–2006 के अनुसार तहसीलदार के रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया और निर्णय दिया गया कि "राजस्व रिकार्ड में अलम दरामद करने की स्वीकृति हेतु रेफरेन्स निर्णय के मुताबिक वास्ते स्वीकृति अमल दरामद समय समय पर हुये परिवर्तनों की तीन–तीन प्रतियां तैयार कर तहसीलदार, विराट नगर को आदेश दिये जाते हैं कि रिकार्ड में अमल दरामद हेतु रेफरेन्स वास्ते स्वीकृति माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को पेश करें।" तहसीलदार द्वारा पत्र दिनांक 6–6–2006 से मार्गदर्शन चाहे जाने पर अतिरिक्त कलक्टर, कोटपुतली को आदेशिका दिनांक 23–5–2006 के अनुसार आदेश दिये गये कि " तहसीलदार विराट नगर को लिखा जाये कि प्रकरण माननीय मण्डल को न भेज कर निर्णयानुसार भूमि सिवाय चक दर्ज करें।" प्रार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय के पुनरावलोकन हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 85, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 458/2007 में निर्णय दिनाक 19–10–2010 से स्वीकार किया और मूल पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिया गया। आक्षेपित निर्णय दिनांक 25–01–2011 के द्वारा तहसीलदार के रेफरेन्स को स्वीकार किया और खसरा नम्बर 515 रकबा 1.12 है0 के सम्बन्ध में नरसा पुत्र नारायण जाति कुम्हार के पक्ष में दी गई खातेदारी को नियम विरुद्ध माना और इसे निरस्त करने तथा खसरा नम्बर 517 रकबा 1.02 है0 की भूमि पावूदान पुत्र जमन नायक के नाम से हटा कर पुनः सिवायचक दर्ज करने हेतु मण्डल को रेफरेन्स प्रस्तुत किया है।

उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी।

4— विद्वान राजकीय उप अभिभाषक ने रेफरेन्स मीमों के तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि सहायक कलक्टर, शाहपुरा ने अपने यहाँ विचाराधीन दावा संख्या 220/94 को निर्णय दिनांक 22–7–97 से निर्णित करते हुये आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा का खातेदार घोषित किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–1 पावूदान नायक की खातेदारी हजफ की गई और प्रतिवादी संख्या–1 को हाल खसरा नम्बर 518, 517 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है, जो नियमों के विपरीत है। खसरा नम्बर 515/1.12 है0 अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी की भूमि है और सवर्ण जाति के व्यक्ति के पक्ष में खातेदारी घोषित नहीं की जा सकती, इस सम्बन्ध में धारा 42–बी के प्रावधान सुस्पष्ट हैं। खसरा नम्बर 517/1.02 है0 सिवाय चक है जिसकी खातेदारी घोषणा पावूदान के पक्ष

COMPARED BY

में बिना किसी अधिकार के की गई है, जो भी अनुचित है। माननीय न्यायालय ने खसरा नम्बर 515/1.12 को रिकार्ड के विपरीत अप्रार्थी संख्या–1 नरसा पुत्र नारायण के नाम खातेदारी घोषित की है इसके एवज में खसरा नम्बर 517/1.02 है0 सिवाय चक भूमि की खातेदारी गैर प्रार्थी संख्या–2 पाबूदान के नाम की है जो गलत एवं नियम विरुद्ध है। योग्य अभिभाषक ने निवेदन किया कि साबिक खसरा नम्बर 314 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा में से अप्रार्थी संख्या–2 पाबूदान जाति नायक को 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका साबिक नामांतरकरण संख्या 134 रेकार्ड में अमल हुआ। खसरा नम्बर 515, 518 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के साबिक नम्बर 314 मि0से बने हैं तथा हाल नम्बर 517 साबिक नम्बर 314, 315 मि0 से बने हैं। वर्तमान रिकार्ड में खसरा नम्बर 515/1.12 है0 तथा 518/1.41 है0 किता 2 रकबा 2.53 है0 अप्रार्थी संख्या–2 पाबूदान की खातेदारी में दर्ज है। खसरा नम्बर 517/1.02 है0 रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। अतः तहसीलदार, विराटनगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर ने स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित रेफरेन्स को स्वीकार किया जाये।

5– अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से योग्य अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा ने दिनांक 14–9–2015 को वकालतनामा व प्रकरण से संबंधित न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,जयपुर में लंबित अपील संख्या 410/2013 की आदेशिका व अपील मीमो की प्रति प्रस्तुत की और प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि उक्त प्रकरण में अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अभिभाषक व राजकीय अभिभाषक की बहस सुन कर दिनांक 6–2–2014 को स्थगन जारी किया था जिसे प्रार्थी के अभिभाषक के निवेदन पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 8–2–2014 को आगे बढ़ाया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 30–4–2015 को प्रार्थी के अभिभाषक को पुनः वकालतनामा पेश करने का निर्देश दिया था क्योंकि कार्यालय की त्रुटि के कारण पत्रावली में वकालतनामा उपलब्ध नहीं था। अतः वकालतनामा पुनः प्रस्तुत है जिसे रिकार्ड पर लिया जावे। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में यह प्रतीत होता है कि घोषणा के एक दावा संख्या 115/2007 उच्चानी परमानन्द बनाम ग्यारसी व अन्य दायर हुआ जिसमें दिनांक 29–5–2012 को डिक्री किया गया एवं इस निर्णय को राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर में धारा 96 का प्रार्थना पत्र दे कर नरसा ने अपील कर रखी है जो विचाराधीन है। विवादित आराजी के संबंध में दो दावे निर्णित हुये हैं एवं वाद के दावे की अपील चल रही है.अतः हस्तगत रेफरेन्स में इन दस्तावेजों को देख जा कर निर्णय किया जाये।

6– अप्रार्थी संख्या–2 के योग्य अभिभाषक ने बहस में निवेदन किया कि नरसा जो कि गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसके पक्ष में गलत प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्ति अप्रार्थी संख्या–2 की आराजी को दर्ज किया गया है जो कि अधिनियम की धारा 42–बी के प्रावधानों के विपरीत है। सहायक कलक्टर द्वारा गलत प्रकार से खातेदारी प्रदान की गई है। अतः रेफरेन्स कार्यवाही उचित है।

7– हमने बहस पर मनन किया एवं विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली, जिला जयपुर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स प्रकरण संख्या 458/2007 में अनुशंषित कार्यवाही दिनांक 19–10–2010 के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया।

COMPARED BY

Scanned by CamScanner

8– पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 314 रकबा 20 बीघा 2 बिस्वा सिवायचक में से अप्रार्थी संख्या–2 पाबूदान जाति नायक को 10 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका नामांतरकरण संख्या 134 से रेकार्ड में पाबूदान के पक्ष में अमल हुआ। पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक नम्बर 314 मि0से नवीन खसरा नम्बर 515 रकबा 1.12 है0, 517 रकबा 1.02 है0 तथा 518 रकबा 1.41 है0 कायम किये जाने की पुष्टि होती है। जमाबंदी सम्वत् 2060 के अंकनों के अनुसार खसरा नम्बर 515/1.12 है0 तथा 518/1.41 है0 किता 2 रकबा 2.53 है0 अप्रार्थी संख्या–2 पाबूदान पुत्र जमन कौम नायक की खातेदारी में दर्ज है एवं खसरा नम्बर 517 रकबा 1.02 है0 "मार्ग एवं पगडंडियां" अंकित है। हाल नम्बर 517 साबिक नम्बर 314, 315 मि0 से बनाया गया है, जो कि मिलान क्षेत्रफल से पुष्ट होता है। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख से ज्ञात है कि सहायक कलक्टर, शाहपुरा के न्यायालय में वादी नरसा पुत्र नारायण द्वारा वादपत्र बावत् इस्तकरार हक, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया, जिसे सहायक कलक्टर, शाहपुरा ने निर्णय दिनांक 22–7–97 से निर्णित करते हुये आराजी हाल खसरा नम्बर 515 रकबा 1.12 है0 वाके ग्राम हरिकिशनपुरा का खातेदार घोषित किया गया तथा प्रतिवादी **संख्या–1 पाबूदान** नायक की खातेदारी हजफ की गई और प्रतिवादी संख्या–1 **को हाल खसरा नम्बर** 518, 517 पर खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। **प्रतिवादी को खसरा नम्बर 515/1.12 है0** पर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपुतली द्वारा यह रेफरेन्स प्रकरण धारा 86, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है परन्तु प्रकरण के अवलोकन से पाया जाता है कि मूल आवंटन के सम्बन्ध में नियम 14(4) भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) **1नयम, 1970 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, कोटपुतली के समक्ष प्रकरण संख्या** 161/2011 विचाराधीन है तथा पश्चापतवर्ती वाद पत्र संख्या 115/2007 के विरोध में अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष विचाराधीन है। भू राजस्व अधिनियम, 1956 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों तहत कार्यवाही एक साथ नहीं चलाई जा सकती है। न्यायालय के समक्ष रेफरेन्स निर्णय के समय वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित दो दावे यथा 220/94 व 115/2007 के निर्णय व डिक्री हैं। दावा संख्या 115/2007 के निर्णय के विरुद्ध अपील लंबित है एवं आवंटन नियन, 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, इन परिस्थितियों को देखते हुये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत पारित की गई डिक्री की वैद्यता का परीक्षण रेफरेन्स की कार्यवाही के तहत नहीं किया जा सकता है।

9– फलतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सहायक कलक्टर, शाहपुरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 22–7–97 एवं उपखण्ड अधिकारी, विराटनगर के निर्णय व डिक्री दिनांक 29–5–2012 तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के न्यायालय में लंबित अपील उन्वानी नरसा बनाम परमानन्द तथा आवंटन निरस्ती के नियम 14(4) के प्रार्थना पत्र का परीक्षण कर नियमानुसार आगे कार्यवाही के लिये स्वतंत्र हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15-9-15
(बी एल नवल)
सदस्य

प्रतिलिपि
राजस्थान,

COMPARED BY
18/9/2015

(क) रजिस्टर पर प्रार्थना-पत्र की संख्या व तारीख...13149

(ख) प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की तारीख...16-9-15

(ग) [illegible] की राशि 161

(घ) [illegible] रकम.........

(ङ) [illegible] के लिये निश्चित 17-9-15

(च) [illegible] तैयार में 18-9-15

(छ) आवेदक को नोटिस जारी करने की तारीख.........

(ज) प्रदान करने की तारीख 21-9-15

Scanned by CamScanner